भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 285

दिनांक 05 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएसयू द्वारा सीएसआर निधि खर्च किया जाना

285. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के अधीन कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज़) कार्य कर रहे हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की सीएसआर निधियों से लाभान्वित ऐसी संस्थाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय के तहत छ: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) नामत: (i) सिक्योरिटी प्रिंटिग एंड मिंटिग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) (ii) भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) (iii) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड (एनएलएमसी) (iv) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और इसकी दो सहायक कंपनियां नामत: (v) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) और (vi) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड (आईपीएल) कार्य करते हैं।

(ख) और (ग): सीपीएसईज़ सहित कोर्पोरेटस़ की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान उपरोक्त छ: सीपीएसईज़ में से दो सीपीएसईज़ अर्थात् एनएलएमसी और आईएएमसीएल पर लागू नहीं होते हैं। एसपीएमसीआईएल ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 6.39 करोड़ रू. व्यय किए है, जिसका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में गांवों, अस्पतालों, विद्यालयों आदि जैसे संस्थानों को लाभ हुआ है।

*****